तारीख हुक्म	[illegible]
8-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी श्री एक प्रार्थना पत्र पेश की गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
29-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 5-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5-1-18	पत्रावली पेश। वादपत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय विस्तृत रूप से अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा संख्या 39/दावा/12 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा **RAS**

दायरा दिनांक–07.06.2012

उनवान

1. नन्दबिहारी आयु 62 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

——वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज नृसिंह लाल जाति ब्राहमण निवासी नवलपुरा
2. चन्दाबाई बेवा धूलीलाल जाति ब्राहमण निवासी नवलपुरा
3. मोरपाल आत्मज सांवला जाति मीणा निवासी ग्राम नवलपुरा
4. महावीर आत्मज प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम नवलपुरा
5. कैलीबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम नवलपुरा
6. मांगीबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम नवलपुरा
7. मांगीलाल आत्मज गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
8. रामनाथ आत्मज गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा
9. बाबूलाल आत्मज गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा
10. छोटूलाल आत्मज गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा
11. पीरया आत्मज गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा
12. सूरजमल आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी नवलपुरा तह. इन्द्रगढ, बून्दी
13. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

——प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक–05.01.2018

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कृषि भूमि खसरा नं. 109 रकबा 0.25 हैक्ट., खसरा नं. 110 रकबा 0.85 हैक्ट. , खसरा नं. 111 रकबा 0.05 हैक्ट. , खसरा नं. 116 रकबा 0.04 हैक्ट. , खसरा नं. 117 रकबा 0.03 हैक्ट. , खसरा नं. 118 रकबा 0.11 हैक्ट. , खसरा नं. 120 रकबा 0.08 हैक्ट. , खसरा नं. 336 रकबा 0.35 हैक्ट. , खसरा नं. 337 रकबा 0. 21 हैक्ट. , खसरा नं. 342 रकबा 0.18 हैक्ट. , खसरा नं. 345 रकबा 0.09 हैक्ट. , खसरा नं. 346 रकबा 0.03 हैक्ट. , खसरा नं. 354 रकबा 0.12 हैक्ट. , खसरा नं. 357 रकबा 0.22 हैक्ट. , खसरा नं. 358 रकबा 0.27 हैक्ट. , खसरा नं. 361 रकबा 0. 30 हैक्ट. , खसरा नं. 362 रकबा 0.53 हैक्ट. किता 18 योग रकबा 3.79 हैक्ट. कृषि भूमि वाके ग्राम नवलपुरा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में स्थित है।

कृषि भूमि भू–प्रबन्ध सर्वे(सेटलमेंट) संवत 2040 से 60 के पूर्व खसरा नं. 154 रकबा 6 बीघा 14 बीस्वा, खसरा नं. 163 रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा, खसरा नं. 166 रकबा 9 बीघा 7 बीस्वा, खसरा नं. 167 रकबा 15 बीघा 15 बीस्वा किता 4 योग रकबा 22 बीघा 11 बीस्वा था।

वादी के पिता हीरालाल आत्मज मोडूलाल ने वादपत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 1/6 के खातेदार कृषक थे जमाबन्दी संवत 2016 से 2019 में वादी के पिता का नाम दर्ज था परन्तु जमाबन्दी संवत 2020–2023 वादी के पिता हीरालाल आत्मज मोडूलाल का नाम जमाबन्दी बनाये जाते समय लिखने से रह गया जबकि उक्त खाते की कृषि भूमि के हिस्से 1/6 पर वादी के पिता कब्जा काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद से वादी कब्जा काश्त है। उक्त गलती जमाबन्दी संवत 2020–2023 को बनाते समय हुई। वादी के पिता का नाम जमाबन्दी में विलोपित हो जाने से उनके हिस्सा भाग की भूमि प्रतिवादी नं. 2 के नाम दर्ज कर दी जिसे ठीक करवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि में 1/6 भाग का ही है।

वादी ने बाबूलाल आत्मज नृसिंह लाल से उनके हिस्से 1/12 भाग की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद की थी जिसमें बाबूलाल के स्थान पर खरीद से वादी का नाम दर्ज हुआ था। वादी के पिता की कृषि भूमि पर वादी का नाम दर्ज करवाने का वादी को कानूनन अधिकार प्राप्त है। वादी के पिता हीरालाल की मृत्यु दिनांक 1.3.95 को हो चुकी है।

वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाकर निम्न आशय की डिकी सादीर फरमावें–

यह कि वादपत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि में ख. सं. 109 रकबा 0.25 हैक्ट. , ख. नं. 110 रकबा 0.85 हैक्ट., ख. नं. 111 रकबा 0.05 हैक्ट. , ख. नं. 116 रकबा 0.04 हैक्ट. , ख. नं. 117 रकबा 0.03 हैक्ट. , ख. नं. 118 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

0.11 हैक्ट. , ख. नं. 120 रकबा 0.08 हैक्ट. , ख. नं. 336 रकबा 0.35 हैक्ट. , ख. नं. 337 रकबा 0.21 हैक्ट. , ख. नं. 342 रकबा 0.18 हैक्ट. , ख. नं. 345 रकबा 0.09 हैक्ट. , ख. नं. 346 रकबा 0.03 हैक्ट. , ख. नं. 354 रकबा 0.12 हैक्ट. , ख. नं. 357 रकबा 0.22 हैक्ट. , ख. नं. 358 रकबा 0.27 हैक्ट. , ख. नं. 361 रकबा 0.30 हैक्ट. , ख. नं. 362 रकबा 0.53 हैक्ट. किता 18 योग रकबा 3.79 हैक्ट. कृषि भूमि वाके ग्राम नवलपुरा तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में स्थित में वादी को 1/6 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावें और उसका राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावें प्रतिवादी नं. 2 के हिस्से को 1/3 के स्थान पर 1/6 दर्ज किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। बाद तामील नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य में वादी स्वयं नंदबिहारी का शपथ पत्र PW1, गवाह रामप्रसाद PW2, गवाह बाबूलाल PW3 के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041–2060 प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत् 2009–2028 खाता सं. 42 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 खाता सं. 90 प्रदर्श 4 है जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 खाता सं. 90 प्रदर्श 5 प्रदर्श कराये है।

नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा एकपक्षीय बहस की गयी। दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के संवत 2040 से 2060 के पूर्व खसरा सं. 154 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं. 163 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं. 166 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 167 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 योग 22 बीघा 11 बिस्वा था।

वादी के पिता हीरालाल आत्मज मोडूलाल की वाद वर्णित भूमि में 1/6 हिस्सा के खातेदार कृषक थे। जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 में वादी के पिता का नाम दर्ज था परन्तु संवत् 2020–2023 में वादी के पिता हीरालाल आत्मज मोडूलाल का नाम जमाबन्दी बनाये जाते समय लिखने से रह गया जबकि उक्त खाते की कृषि भूमि के 1/6 हिस्से पर वादी के पिता कब्जा काश्त थे व उनकी मृत्यु के बाद से वादी कब्जा काश्त है। वादी के पिता का नाम जमाबंदी में विलोपित हो जाने से उनके हिस्सा भाग की भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज कर दी जबकि प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कृषि भूमि में 1/6 ही है। हीरालाल की मृत्यु दिनांक 1.03.1995 को हो चुकी है। प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित है। सभी साक्ष्य मेरे वाद पत्र के समर्थन में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना की कि विवादित आराजी के वर्तमान रिकार्ड में 1/6 हिस्सा जोड़ा जावे तथा प्रतिवादी सं. 2 चन्दाबाई बेवा धूलीलाल का हिस्सा 1/3 से 1/6 किया जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रदर्श सं. 5 जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 में हीरा पि. मोड़ू हिस्सा 1/6 दर्ज है। लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2020–2023 में हीरालाल का नाम नही है। साथ जमाबंदी में दर्ज हिस्से भी कुल गणना पर 1 नहीं है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 में चन्दाबाई बेवा धुलीलाल का हिस्सा 1/3 है। जबकि जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 में धूलीलाल पि. नन्दकिशोर का हिस्सा 1/6 ही है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी अपना वाद साबित करने में सफल हुआ है, अतः वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचनोपरांत जमाबंदी संवत् 2067–2070 के खाता सं. नयी 103 पुरानी 93 में हीरालाल पि. मोडूलाल के वारिसान का नाम कुल कृषि भूमि के 1/6 हिस्सा में दर्ज किया जावे तथा चन्दाबाई बेवा धूलीलाल का हिस्सा जो 1/3 गलत दर्ज है को 1/3 के स्थान पर दुरस्त कर 1/6 किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

P.D. डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नारबेरी

व इजलास सुश्री गारिमा लाटा R.A.S.

1 नन्दाबिहारी आत्मज हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बनाम 1 मांगीलाल आत्मज नृसिंहलाल जाति ब्राह्मण निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह

P.T.O.-2

(वादी)

दावा बाबत 88, 89, 188 R.T.A.

मुकदमा नम्बर .... सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 खाता स. नयी 103 पुरानी 93 वाके ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में हीरालाल पिता मोडूलाल के वारिसान का नाम कुल कृषि भूमि के 1/6 हिस्सा में दर्ज किया जावे तथा चन्दाबाई बेवा धूलीलाल का हिस्सा जो 1/3 गलत दर्ज है को 1/3 के स्थान पर दुरूस्त कर 1/6 किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5-1-2018 माह .... सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
नारबेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. चन्दाबाई बेवा धूलीलाल जाति ब्राह्मण निवासी नवलपुरा तह...
3. मोरपाल पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्र...
4. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी नवलपुरा —— " ——
5. कैलीबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी नवलपुरा —— " ——
6. मांगीबाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी नवलपुरा —— " ——
7. मांगीलाल पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी ककावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
8. रामनाथ पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी —— " —— " —— "
9. बाबूलाल पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी —— " —— " —— "
10. छोटूलाल पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी —— " —— " —— "
11. पीरथ्या पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी —— " —— " —— "
12. सूरजमल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी
13. राज. सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

उत्तरदातागण - -

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)